संख्या- 07 /2023/ 191 / क.नि.प्र./26-3-2023-

फाइल कम्प्यूटर नं0- 1585308

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण विभाग(कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ) लखनऊ दिनांक: 12 अप्रैल,2023

विषय:- अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत जनपद संतकबीरनगर के विकास खण्ड बघौली के अन्तर्गत ग्राम मरवटिया (चौरी) में विकास कार्य कराये जाने हेतु अग्रतर स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-849-50/स0क0/विकास/आधारभूत-संतकबीरनगर (टी0सी0)/2022-23 दिनांक 06 सितम्बर, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत जनपद संतकबीरनगर के विकास खण्ड बघौली के अन्तर्गत ग्राम मरवटिया (चौरी) में अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत सी.सी.रोड, हैण्डपम्प, पिच रोड एवं सोलरलाइट कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था यू0पी0सिडको द्वारा तैयार किये गये आगणन रू0 248.74 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-14/2018/ 482/क0नि0प्र0/26-3-2018-15(38)/2015 दिनांक: 28 मार्च,2018 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 46.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-33/2020/613/क0नि0प्र0 /26–3-2020-15(38)/2015 दिनांक 10-11-2020 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत रू0 40.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 86.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस संबंध में निदेशक,समाज कल्याण उ0प्र0 के पत्र दिनांक 06 सितम्बर,2022 द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कराये गये निर्माण कार्य की थर्डपार्टी जांच रिपोर्ट तथा कार्यदायी संस्था के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र/ गुणवत्ता प्रमाण पत्र के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संतकबीर नगर के विकास खण्ड बघैली के अन्तर्गत ग्राम मरवटिया (चौरी) में स्वीकृत उक्त परियोजना के अग्रतर कार्य को कराये जाने हेतु तृतीय किश्त के रूप में रू0 40.00 लाख (रू0 चालीस लाख मात्र) की धनराशि प्रश्नगत योजनान्तर्गत एस0एन0ए0 (सिंगल नोडल एजेन्सी) के खाते में जमा/उपलब्ध धनराशि में से व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

<u>शर्ते/प्रतिबन्ध:-</u>

1. उक्त स्वीकृति के सापेक्ष पूर्ण कराये जाने वाले अवशेष कार्यो हेतु स्वीकृत आंगणन में इंगित/अनुमोदित दरों के आधार पर पूर्व में नामित कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिडको से कार्य कराया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी0एम0-अजय) के अन्तर्गत नामित सिंगल नोडल एजेन्सी के खाते में संबंधित योजनान्तर्गत जमा धनराशि में से नियमानुसार किया जायेगा।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उपर्युक्त शासनादेशों दिनांक 28 मार्च,2018 एवं दिनांक 10-11-2021 एवं वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1–227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च,2023 में निर्धारित दिशा निर्देशों एवं शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
4. प्रश्नगत प्रयोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति की प्रति एवं डी0पी0आर0 कार्यदायी संस्था द्वारा निदेशक,समाज कल्याण के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायी जायेगी तथा स्वीकृत परियोजना का कार्य निर्धारित गुणवत्ता/मानक एवं विशिष्टियों के अन्तर्गत कराया जायेगा तथा इसकी जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था की होगी।
5. संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के संबंध में यह पुष्टि की जायेगी कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्वीकृत है और न ही पूर्व में किया गया है तथा वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

6. अवमुक्त धनराशि का आहरण दो माह की आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।
7. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्कतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
8. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
9. यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग निदेशालय द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
11. प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशालय, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संबंधित योजना अधिकारी का होगा।
12. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से संबंधित भारत सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
14. योजनान्तर्गत बाट आउट आइटम की श्रेणी से आच्दादित कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेंटेज चार्ज देय नहीं होगा। इसका निर्धारण एवं उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
15. उपर्युक्त परियोजना की तृतीय किश्त की धनराशि निदेशक, समाज कल्याण एवं कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/प्रपत्रों के आधार पर प्रदान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की जा रही है और इन अभिलेखों एवं प्रपत्रों की प्रमाणिकता का पूर्ण दायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था एवं निदेशक,समाज कल्याण विभाग का होगा।

4- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु तृतीय किश्त के रूप में रू0 40.00 लाख के व्यय की अनुमति अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-08/2022/570/क0नि0प्र0/26-3-2022-21(48)/2021 टी0सी0 दिनांक 11-08-2022 द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति के क्रम में निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. जिलाधिकारी, **संतकबीर नगर**
5. कोषाधिकारी,कैसरबाग,लखनऊ/ कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ/ कोषाधिकारी **संतकबीर नगर।**
6. प्रबन्ध निदेशक, यू.पी. स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरशन लि0 (यू.पी. सिडको) उ0प्र0 लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, महानगर, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
9. जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास),**संतकबीर नगर।**
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

आत्म प्रकाश पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in